राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Protocol for RSLSA#RUN4वन

दिनांक 07 जुलाई, 2019 को प्रातः 06.00 बजे आयोजित होने वाली दौड़ के लिए अपनाया जाने वाला प्रोटोकॉल–

1. प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की प्राथमिकता रहेगी।
2. इसका ध्यान रखा जावेगा कि आमजन एवं यातायात को न्यूनतम असुविधा हो।
3. सामान्य रूप से यह ध्यान रखा जावेगा कि आगे बढ़कर सुविधा और प्राथमिकता बच्चों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को दी जावे।
4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त अधिकारीगण, स्टाफ तथा समस्त कार्यकर्ता शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें और मदद करने का भाव रखकर कार्य करें।
5. जहाँ तक संभव हो पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्थाएं की जाएगी और ईवेन्ट के मार्ग पर किसी भी प्रकार का म्यूजिक अथवा डी.जे. नहीं बजाया जावे।
6. किसी भी परेशानी या दुर्घटना की स्थिति में RSLSA Control Room Number 9928900900 अथवा 0141-2227481 एवं सदस्य सचिव/निदेशक के मोबाइल पर तत्काल सूचना दी जावे और अविलम्ब प्रत्येक संभव मदद प्रदान की जावे।

कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व का प्रोटोकॉल–

1. ईवेन्ट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या का निर्धारण किया जाएगा।
2. ईवेन्ट से पूर्व के दिन मार्ग के अलावा ईवेन्ट प्रारंभ होने के स्थल एवं ईवेन्ट समाप्ति के स्थल का मुआयना किया जावेगा और वहाँ साफ–सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. जो पंजीयन दिनांक 06 जुलाई, 2019 की सायं तक होंगे, उन आवेदन पत्रों को एल्फाबेटीकल ऑर्डर में एकत्र किया जाएगा और उस आवेदन की काउंटर स्लिप को भाग लेने का कूपन माना जाएगा।
4. काउंटर पर यह भी ध्यान रखा जावे कि दो काउंटर के मध्य पर्याप्त दूरी हो और महिलाओं व बच्चों को कोई परेशानी न हो। प्रत्येक परिस्थिति में अनुशासन बनाया रखा जावें।
5. दौड़ के मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में पानी के काउंटर होने चाहिए। यथासंभव प्रत्येक एक से दो किलोमीटर के मध्य की दूरी पर वॉटर काउंटर रखा जावे और उसमें डिस्पोजल ग्लास का उपयोग किया जावे।
6. जहाँ–जहाँ पानी की व्यवस्था की जावे, वहाँ डस्टबीन अवश्य लगाया जावे।
7. साफ–सफाई का ध्यान रखा जावे और ईवेन्ट के मार्ग पर किसी भी प्रकार का कचरा यदि फैलता है, तो उसे तत्काल साफ कराया जावे और ईवेन्ट समाप्ति के आधे घंटे में मार्ग पुनः साफ सुथरा जैसा पहले था, वैसा रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
8. पुलिस की समुचित व्यवस्था दौड़ के मार्ग पर की जानी चाहिए।
9. विद्यार्थियों के लिए यथासंभव कुछ खाने की सामग्री जिसमें बिस्कुट/छोटा केक इत्यादि की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

10. ईवेन्ट प्रारंभ होने के स्थान पर एवं ईवेन्ट समाप्ति के स्थान पर भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
11. चल शौचालय के लिए नगर निगम अथवा नगरपालिका से संपर्क किया जावे और उन्हें चल शौचालय लगाने के लिए कहा जावे, ताकि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी ना फैले।

ईवेन्ट प्रारंभ के स्थान पर–

1. दौड़ प्रातः 06.00 से 06.15 के मध्य प्रारंभ करने के लिए सम्पूर्ण तैयारी की जानी चाहिए।
2. प्रारंभ स्थल पर पूर्व में बताए अनुसार बैनर लगाना सुनिश्चित किया जावे और हरी झंडी दिखाकर अथवा बैलून उड़ाकर दौड़ को प्रारंभ किया जा सकता है।
3. प्रारंभ स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पंजीकरण काउंटर होना चाहिए, जिस पर पंजीकरण फॉर्म के स्थान पर एक छोटी स्लिप जो आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, वह spot Registration हेतु प्रयुक्त की जावे, जिस पर प्रतिभागी अपना नाम, मोबाईल नम्बर लिखने के बाद हस्ताक्षर कर देगा और इसकी काउंटर स्लिप वह अपने साथ ले जाएगा।
4. प्रतिभागी स्लिप हेतु पर्याप्त मात्रा में ड्रॉप बॉक्स रखे जावें, ताकि प्रतिभागी वहाँ मौजूद स्लिप को भरकर ड्रॉप बॉक्स में डाल सके। स्लिप भरकर ड्रॉप बॉक्स में डालना पंजीकरण माना जाएगा।
5. दौड़ को प्रारंभ करने के पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थल पर जो टीम है, वह अन्य मार्ग लेती हुई तत्काल वाहन से अंतिम स्थल तक पहुँच जाए।
6. यदि आवश्यकता हो तो प्रारंभ स्थल पर माईक सिस्टम (PAsystem) लगाया जावे, ताकि आमजन को नियंत्रण में कोई दिक्कत न हो, परन्तु यदि आवश्यकता न हो तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखने की आवश्यकता नहीं है।
7. ईवेन्ट प्रारंभिक स्थल पर Self Help Desk बनाई जानी चाहिए और उस पर सभी की सहायता करने के लिए एक लिपिक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
8. ईवेन्ट की समाप्ति पर प्रतिभागियों को सुविधा जनक तरीके से प्रमाण–पत्र व पौधे का वितरण हो, अतः समुचित संख्या में काउंटर लगाए जावे।
9. यदि किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से पौधा या प्रमाण–पत्र समाप्त होने के कारण प्रमाण–पत्र व पौधा न दे पाएं तो उसका नाम, पता व मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई डी जो भी उपलब्ध हो वह लिख लें और अगले कार्य दिवस को इसे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।
10. कुछ सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का इस्तेमाल इस आशय के लिए किया जावे, ताकि ईवेन्ट समाप्ति के स्थल से प्रारंभिक स्थल तक जहाँ प्रतिभागियों की कार अथवा टू व्हीलर पार्किंग में है, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
11. दौड़ के दौरान First Aid, Physiotherapist और Ambulance की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे और इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद विभाग का सहयोग लिया जावे।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

12. यदि कोई व्यक्ति/संस्था स्वैच्छिक रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग दौड़ के दौरान करता है तो इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति न की जावे, परन्तु दौड़ में सहयोग के बदले में उस व्यक्ति/संस्था का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
13. सम्पूर्ण दौड़ में स्काउट गाईड, एन.सी.सी. व अन्य युवा संगठनों की सहायता ली जावे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्तियों को भाग लेने के लिए प्रेषित किया जा सके।

टी–शर्ट/कैप/प्रमाण–पत्र वितरण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश–

प्राधिकरण **Poor, Needy & Down Trodden** के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। आपसे यह अनुरोध है कि टी–शर्ट व कैप का वितरण, जहाँ तक संभव हो, इस प्रकार किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या तक हम इन्हें प्राथमिकता से बच्चों को पहुँचा पाएं, परन्तु इनका वितरण करते हुए वयस्क व्यक्तियों को भी सिम्बोलिक रूप से भी टी–शर्ट व कैप दी जावे, जो दौड़ में भाग ले रहे हैं, परन्तु यह भी सुनिश्चित किया जावे कि दौड़ के समय यह टी–शर्ट व कैप पहनी हुई हो।

प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक टी–शर्ट व कैप पहुँच सके, परन्तु प्राधिकरण के लिए राजस्थान में टी–शर्ट व कैप का निर्माण का कारोबार न होने एवं कम समय के कारण वेंडिंग करने की मजबूरी को दृष्टिगत रखते हुए सभी को टी–शर्ट अथवा कैप पहुँचाया जाना संभव नहीं है अतः आप सुविधाजनक रूप से समाज के बच्चों एवं कमजोर वर्ग का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त काउन्टर लगाकर उक्त वितरण व्यवस्था ईवेन्ट के दिन व प्रारम्भ से पूर्व सुनिश्चित करें। प्राधिकरण ने प्रत्येक व्यक्ति को Participation प्रमाण–पत्र देने का निर्देश दिया है अतः चाही गई संख्या में प्रमाण–पत्र आपको भेजे जा रहे हैं। यदि फिर भी आपको प्रमाण–पत्रों की और आवश्यकता हो तो तत्काल इसकी मांग प्रेषित करें, जितने भी प्रमाण–पत्र आप चाहेंगे उतनी संख्या में प्रमाण–पत्र आपको छपवाकर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

प्राधिकरण प्रत्येक व्यक्ति को Participation प्रमाण–पत्र देने एवं पौधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वह व्यक्ति जो दौड़ में भागीदार है, वह पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ में अपनी भूमिका को याद करके गौरवान्वित महसूस करे। यदि किसी कारणवश मौके पर पौधा अथवा प्रमाण–पत्र न दे सके तो आप उन व्यक्तियों का नाम, मोबाईल नम्बर पूर्व दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार रिकॉर्ड करें और उन्हें पौधा व प्रमाण–पत्र प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव